पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांकः– 15477.

दिनांकः 02.01.2023

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2022 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2022 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
1.	डॉ. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
3.	श्री महेश कुमार शर्मा	कोषाधिकारी, सीकर एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर	सदस्य
4.	श्री राजीव शर्मा	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
5.	डॉ. जगदीश प्रसाद	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	डॉ. के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
7.	डॉ. कौशल किशोर	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
8.	डॉ. संगीता कुमारी	माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
9.	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
10.	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
11.	डॉ. ऋचा कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राज्य सरकार प्रतिनिधि	सदस्य
12.	श्री राजवीर सिंह चौधरी	कुलसचिव	सदस्य सचिव
13.	श्री अर्जुन लाल गुर्जर	वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रबंध बोर्ड बैठक में सदस्य श्री राजीव शर्मा, प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ. संगीता कुमारी माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, डॉ. के. डी. स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, डॉ. डी. एस. थालौड़, माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने मनोनीत नये सदस्यों का परिचय करवाया एवं सभी आगुन्तक सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 15.10.2022 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः बैठक दिनांक 15.10.2022 के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 15.10.2022 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट II में संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट III) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट IV) का अनुमोदन किया गया। साथ ही वित्त नियंत्रक को यह भी हिदायत दी गई कि भविष्य में बजट समय पर प्रस्तुत करवाएं।

Item Agenda (मद) 5 :– स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 07.12.2022 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 07.12.2022 के कार्यवृत (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट V) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन समिति द्वारा तैयार विज्ञापनों पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन समिति द्वारा तैयार विज्ञापनों (कार्य सूची की संलग्न परिशिष्ट VI) का अनुमोदन किया गया। भर्ती पूर्ण पारदर्शिता एवं रोस्टर नियमों तथा अन्य संबंधित भर्ती नियमों का पालन करते हुए की जाए।

Item Agenda (मद) 7 :– **विश्वविद्यालय में सुरक्षा व कानून व्यवस्था (Safe & Secure Campus) को सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालय को स्वच्छ व हरा–भरा (Clean & Green Campus) तथा विश्वविद्यालय को पर्यावरण मैत्रेयी (Environment friendly) बनाये रखने के लिए, विश्वविद्यालय की आवश्यक व आकस्मिक सेवाओं (परीक्षा कार्य, कार्यालय सहायक, बिजली, पानी) हेतु श्रमिकों को एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्य करवाने हेतु विचार कर निर्णय लेनाः**

1. **उद्यान निरीक्षक (Garden Superintendent) (1),**
2. **बागवान (Gardener)(25),**
3. **सुरक्षा अधिकारी (Security Officer) (JCO स्तर का) (2),**
4. **सुरक्षा प्रहरी (Security Guard) (50),**
5. **सफाई निरीक्षक (Sanitary Inspector) (1),**
6. **सफाई कर्मचारी (Sweeper) (50)**
7. **कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक (Labour) (25)**

निर्णयः विश्वविद्यालय की निजी आय से एजेन्सी के माध्यम से उक्त श्रमिकों को कार्य करने हेतु रखे जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– **विश्वविद्यालय के वादों (Cases) के निस्तारण हेतु राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता संघ, लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट, जिला उपभोक्ता फोरम एवं जिला न्यायाधीश न्यायालय में अपील हेतु अधिवक्ताओं के फीस निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः विश्वविद्यालय के न्यायिक विवादों (Cases) के निस्तारण हेतु राज्य सूचना आयोग के अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के समकक्ष फीस निर्धारित की गई। राज्य उपभोक्ता संघ, लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट, जिला उपभोक्ता फोरम एवं जिला न्यायाधीश न्यायालय में न्यायिक वाद/अपील हेतु अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप दिये जाने का निर्णय किया गया।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– **राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न पद सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव :–**

(i) निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक – राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(5)शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 06.12.2022 के द्वारा स्वीकृत उक्त पद पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चूंकि वर्तमान में उक्त पदो के क्रम में उनसे निम्न स्तर के किसी भी पद पर विश्वविद्यालय में कार्मिक कार्यरत/नियुक्त नहीं हैं, अतः दीर्घ अवधि तक पदोन्नति संभव नहीं है। द्वितीय, कार्य की प्रकृति के अनुरूप निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सहायक को अन्य कार्यो के साथ–साथ गोपनीय प्रकृति के कार्य भी करने होते हैं इसलिए विश्वविद्यालय कार्यो की सुचिता के लिए विश्वविद्यालय सेवा के ही कार्मिक होने चाहिएं। अतः उक्त पद सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(ii) वाहन चालक – राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(5)शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 06.12.2022 के द्वारा वाहन चालक के 2 पद रेक्सको/होमगार्ड के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक को गोपनीय कार्यों हेतु भी यात्राएं करनी होती हैं, इसलिए वाहन चालक विश्वविद्यालय सेवा के ही होने चाहिएं। अतः वाहन चालक के पद सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सम्पदा अधिकारी – राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(5)शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 06.12.2022 के द्वारा स्वीकृत सम्पदा अधिकारी, सहायक अभियंता (सिविल)/समकक्ष का पद प्रतिनियुक्ति से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि विश्वविद्यालय परिसर में निरंतर निर्माण एवं रख–रखाव के कार्य संचालित होते हैं जिनकी गुणवत्ता एवं सतत मोनीटरिंग हेतु सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय का नियमित कार्मिक होना उपयुक्त रहेगा। अतः सम्पदा अधिकारी का पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः उक्त पदों को विश्वविद्यालय की अर्जित निजी आय से सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 2 उड़नदस्ता दल को मानदेय भुगतान के सम्बंध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान उड़नदस्ता दल के सदस्यों को यात्रा भत्ता भुगतान के अतिरिक्त निम्नानुसार मानदेय भुगतान का प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समझ विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

(i) उड़नदस्ता दल के समन्वयक/चैयरमेन – केन्द्राधीक्षक को देय मानदेय के समान

(ii) उड़नदस्ता दल के सदस्य – परिवीक्षक को देय मानदेय के समान

निर्णयः उड़नदस्ता दल के समन्वयक/चैयरमेन को केन्द्राधीक्षक के समकक्ष एवं सदस्य को परिवीक्षक के समकक्ष मानदेय दिये जाने का निर्णय किया गया। यह मानदेय यात्रा भत्ता भुगतान के अतिरिक्त देय होगा।

Table Agenda (मद) 3 :– विश्वविद्यालय कार्य हेतु यात्रा के लिए कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक हेतु वाहन विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः 3 वाहन क्रय की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है। वाहन क्रय की स्वीकृति प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय निजी आय से अनुबंध पर वाहन उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः विश्वविद्यालय में वाहन क्रय हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाये एवं प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति मिलने तक निजी आय से अनुबंध पर वाहन रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु</u>

1. **परीक्षा में उपाधियों की जांच करने वालों के मानदेय को Ceiling से अलग रखा जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः मद को स्थगित किया गया।

2. **उपस्थिति कम रहने के कारण पीएच.डी. कोर्स वर्क पूर्ण नहीं कर पाये जे.आर.एफ. शोधार्थियों के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः उपस्थिति कम रहने के कारण पीएच.डी. कोर्स वर्क पूर्ण नहीं कर पाए शोधार्थियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु संकायाध्यक्षों की एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय किया गया। अंतिम निर्णय हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

3. **डॉ. जसवंत सिंह खीचड़, सेवानिवृत उपकुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विश्वविद्यालय में समेकित पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय**

निर्णयः डॉ. जसवंत सिंह खीचड़, सेवानिवृत उपकुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के विश्वविद्यालय सेवाओं के विस्तृत अनुभव के मध्यनजर प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12. 2021 में 40000/– रू. प्रति माह मानदेय पर रखे जाने का निर्णय लिया गया था। श्री खीचड़ की स्थिर पारिश्रमिक पर निजी सचिव, कुलपति पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक प.14 (5) शिक्षा–4/2017 पार्ट दिनांक 22.11.2022 के द्वारा वित्तीय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने की शर्त पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसलिए प्रकरण पुनः प्रबंध बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। यद्यपि श्री खीचड़ ने अपने अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत स्थिर पारिश्रमिक पर सहमति प्रदान की थी, तथापि उक्त राशि प्रबंध बोर्ड के पूर्व निर्णय से ज्यादा है, अतः डॉ. जसवंत सिंह खीचड़ को निजी सचिव, कुलपति के रिक्त पद पर 40000/– रू. प्रति माह स्थिर पारिश्रमिक पर रखे जाने का निर्णय लिया गया। इनकी नियुक्ति उपरांत सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जावे।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव